<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>दिनांक 18.09.2020</u>

<u>गैंगस्टर में वांछित 25,000-25,000 रुपये के दो पुरस्कार घोषित अपराधी रवि व देशराज रिपोर्टिंग चौकी दौलतपुर (थाना डिबाई) पुलिस द्वारा गिरफ्तार</u>

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी डिबाई सश्री वंदना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण आज दिनांक 18.09.2020 को प्रभारी रिपोर्टिंग चौकी दौलतपुर उ0नि0 श्री रूस्तम सिंह मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना डिबाई से गैंगस्टर में वांछित 25,000-25,000 रूपये के दो पुरस्कार घोषित अपराधी कहीं जाने की फिराक में दानपुर चौराहे पर खड़े है। इस सूचना पर प्रभारी रिपोर्टिंग चौकी दौलतपुर उ0नि0 श्री रूस्तम सिंह मय पुलिस फोर्स द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताये स्थान दानपुर चौराहे पर पहुँचकर घेराबन्दी कर दोनों अभियुक्तगण रवि व देशराज को समय करीब प्रातः 07.00 बजे गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-</u>

1- रवि कुमार पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम चौगानपुर थाना डिबाई बुलन्दशहर।
2- देशराज पुत्र नेमसिंह निवासी उपरोक्त।

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तगण रवि व देशराज शातिर किस्म के अपराधी है तथा जिनके द्वारा संगठित गैंग बनाकर चोरी आदि घटनाएं कारित कर आर्थिक लाभ अर्जित करने के आशय से अपराध करने में सक्रिय रहने पर थाना डिबाई पुलिस द्वारा मुअसं-257/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध किया गया था। इस अभियोग में दोनों अभियुक्त रवि व देशराज वांछित चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000-25,000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। दोनों अभियुक्त रवि व देशराज के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर चोरी आदि संगीन अपराधों के निम्न अभियोग पंजीकृत हैं-

<u>अभियुक्त रवि का आपराधिक इतिहास-</u>

1- मुअसं-450/19 धारा 379,411,420 भादवि थाना डिबाई बुलन्दशहर।
2- मुअसं-55/20 धारा 379,411 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
3- मुअसं-56/20 धारा 379,411 भादवि थाना डिबाई बुलन्दशहर।
4- मुअसं-71/20 धारा 379,411 भादवि थाना अनूपशहर बुलन्दशहर।
5- मुअसं-257/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।**(वांछित)**

<u>अभियुक्त देशराज का आपराधिक इतिहास-</u>

1- मुअसं-450/19 धारा 379,411,420 भादवि थाना डिबाई बुलन्दशहर।
2- मुअसं-55/20 धारा 379,411 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
3- मुअसं-56/20 धारा 379,411 भादवि थाना डिबाई बुलन्दशहर।
4- मुअसं-71/20 धारा 379,411 भादवि थाना अनूपशहर बुलन्दशहर।
5- मुअसं-257/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।**(वांछित)**

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना डिबाई पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम</u>-

1- श्री रूस्तम सिंह प्रभारी रिपोर्टिंग चौकी दौलतपुर थाना डिबाई
2- उ0नि0 रामभूल सिंह
3- उ0नि0 रामप्रसाद
4- है0का0 रामवीर सिंह, का0 विष्णु कुमार, का0 चालक विष्णु पचौरी।